न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प तिलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी :— श्री भागीरथ राम,आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर 05 / 2015

अपीलान्ट	**बनाम**	**रेस्पोडेन्ट**
1. पूनमाराम पुत्र खंगाराराम जाति चौधरी निवासी सिमालिया		1. सरपंच,ग्राम पंचायत तिलवाड़ा 2. कानाराम पुत्र धन्नाराम जाति कलबी 3 रणछोड़राम पुत्र धन्नाराम जाति कलबी 4. मोड़ाराम पुत्र धन्नाराम जाति कलबी 5. राणाराम पुत्र धन्नाराम जाति कलबी 6. लच्छाराम पुत्र धन्नाराम जाति कलबी 7. नगाराम पुत्र भल्लाराम जाति कलबी 8. हरचंदराम पुत्र भल्लाराम जाति कलबी 9. कोकू बेवा भल्लारात जाति कलबी 10. कमला पत्नि मोडाराम जाति दर्जी निवासियान सिमालिया तहसील पचपदरा

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 नामान्तरकरण संख्या 1726 दिनांक 05.07.2014 व 1737 दिनांक 05.8.2014

उपस्थित

श्री देवीसिंह महेचा वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1,2 ता 7 व 9

निर्णय

दिनांकः 14.06.2018

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत कालुड़ी द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1726 दिनांक 05.7.2014 व नामान्तरकरण संख्या 1737 दिनांक 05.8.2014 ग्राम सिमालिया के खेत ख्सरा नंबर 109 रकबा 18.17 बीघा का है । रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 9 ने लूम्बाराम पर जमीन बाबत् केस किया जिस पर अपीलान्ट भी मिलने आया तो अपीलान्ट को पता चला कि अपीलान्ट की खातेदारी भूमि का भी लूम्बा के साथ फर्जी हकतर्क नामा बनाकर अपीलान्ट के अंगूष्ठ निशान फर्जी करके रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 9 ने एक फर्जी दस्तावेज बनाया जिसकी जानकारी रेस्पोडेन्ट को फोटो कॉपी पुलिस थाना मे देखने पर पता चला । अपीलान्ट द्वारा कभी भी कोई हकतर्क नामा नहीं लिखा गया न ही इस संबंध मे कोई स्टाम्प वगैरा ही खरीदें जिसकी अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं है । धन्नाराम के जीवनकाल मे कभी भी इस पर कोई कार्यवाही अमल मे लाने हेतु नहीं की । धन्ना की मृत्यु हुए 16 वर्ष हो गये तथा धन्ना की पत्नि की मृत्यु हुए 5 वर्ष हो गये । पटवारी हल्का से सांठ गांठ व मिलावट कर धन्ना पुत्र मगाराम की खातेदारी दिनांक 20.6.2014 को दर्ज की गयी । रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपीलान्ट को अंधेरे मे रखकर नामान्तरकरण भरा । अपीलान्ट को नहीं सुना गया । मौके पर अपीलान्ट का कब्जा काश्त है व सपरिवार निवास कर रहा है ।

अतः निवेदन है कि अपीलकर्ता की अपील स्वीकार की जाकर ग्राम सिमालिया के म्युटेशन दिनांक 05.7.2014 व 05.8.2014 को निरस्त कर अपीलकर्ता के नाम से पारित

(भागीरथ राम)

Scanned by CamScanner

सके हिस्से की 1/2 जमीन कुल 9 बीघा 8 विस्वा व 10 विसवान्सी अपीलान्ट के नाम पारित करने के आदेश प्रदान करावें तथा अवैध म्युटेशन जारी करवाया है उसे निरस्त मंसूख फरमावें ।

अपील अपीलान्ट दर्ज कर रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया । रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता व 9 ने जवाब पेश कर जाहिर किया कि नामान्तरकरण संख्या 1726 हकतर्क नामा के आधार पर भरा गया है । हकतर्क नामा 20.6.1984 मे पंजीयन करवाया गया था । हकतर्क नामा के आधार पर ग्राम पंचायत व हल्का पटवारी ने पूर्णतः सही जांच कर धन्नराम के पक्ष में म्युटेशन पारित किया । अपीलान्ट ने निराधार आरोप के साथ अपील पेश की है । हकतर्क नामा फर्जी हो ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है । म्युटेशन धन्नाराम के जीवनकालमे ही भरा गया था उनकी मृत्यु के कथन गलत है । म्युटेशन पारित करने मे किसी प्रकार की प्राकृतिक सिद्वान्तों का उल्लंघन नहीं किया गया है । रेस्पोडेन्ट का निवेदन है कि म्युटेशन पंजीयन हकतर्क नामा के आधार पर भरा गया है तथ उक्त दस्तावेज आज भी अस्तित्व मे है उसे बिना खारिज करवाये म्युटेशन अपील चलने योग्य नहीं है । अपील खारिज फरमावें ।

हमनें अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील व प्रस्तुत दस्तावेजों व जवाब रेस्पोडेन्ट का भली भांति अध्ययन कर गहनता से मनन किया व कैम्प कोर्ट के मजमे आम मे पूछताछ कर चर्चा की गई । रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने जवाब पेश नहीं किया पर उपस्थित होकर अवगत कराया कि म्युटेशन पंजीबद्व दस्तावेज के आधार पर भरा गया था । पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि हकतर्क नामा 20.6.1984 में लिखा गया है । हकतर्क नामा आज भी अस्तित्व में है उसे बिना खारिज करवाये म्युटेशन अपील चलने योग्य नहीं है ।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है ।

निर्णय आज दिनांक 14.6.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प तिलवाड़ा मे खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा)

(भागीरथ राम)
सहायक कलक्टर,
एस.डी.ओ. बालोतरा

भागीरथ राम
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प.. तिलवाड़ा

Scanned by CamScanner